

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

48/2013/225

माधो सिंह (मू.) अणची 4/1-चतरसिंह (मू.) लादी


तारीख	2013/00147	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री मानचोंड गाडिच	R- 1/3, 2 (ने 22 श्री लादी वीरेंद्र श्री G.S. लखवत 1/1, 1/2, 1/4	

22 7
22

माधो सिंह (मू) अणची बनाम चतरसिंह (मू) लादी वगैरह पत्रावली. पेश। अपीलांट अभिभाषक एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/4 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने आदेशिका में अपने स्वयं के द्वारा यह अंकित किया है कि "मूल वाद मे अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के पक्ष में तय हो गया। अतः अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं"।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद का निस्तारण हो गया है इसलिए अभिभाषक अपीलांट ने अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है ऐसी अवस्था में अपील फैसलशुमार की जाकर, दाखिल दफ्तर किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आगे नहीं चलाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर